प्रेस विज्ञप्ति (निःशुल्क प्रकाशनार्थ)

पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को भारत सरकार से अधिकृत संस्था "डोयक" से मान्यता प्राप्त जनपद में कार्यरत संस्थाओं द्वारा "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने की योजना वर्ष 2017–18 योजना की पात्रता एवं शर्तें निम्नवत हैः–

1. इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को "ओ" लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनुमान्य होगा।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए (10+2) इण्टमीडिएट न्यूनमत शैक्षित अर्हता आवश्यक है।
3. प्रशिक्षार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
4. प्रशिक्षार्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न ले रहा हो।
5. "ओ" लेवल के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी।
6. अभ्यार्थी की वार्षिक आय रू0 1,00,000/–से अधिक न हो।
7. प्रशिक्षण अवधि में अधिकतम रू0 15,000.00 की प्रतिपूर्ति प्रति प्रशिक्षार्थी देय होगी।

इच्छुक अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मेरठ के कार्यालय कक्ष संख्या–01 विकास भवन, मेरठ भूतल पर स्थित से प्राप्त कर दिनांक 26.06.2017 तक समस्त संलग्नकों सहित दो प्रतियों में कार्यालय में जमा कर दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र व प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। मुख्यालय से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप ही शासनादेशानुसार गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जायेगा।

जनपद की इच्छुक डोयक से मान्यता प्राप्त "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें दिनांक 20.06.2017 तक अपना आवेदन पत्र आवश्यक अभिलेखो सहित कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें। जिससे प्रशिक्षण संस्था का चयन किया जा सके।

(समीर वर्मा)
जिलाधिकारी,
मेरठ।

कार्यालयः– जिलाधिकारी,मेरठ।

पत्रांकः–87 /पि0व0क0/कम्प्यूटर–प्रशि0/2017–18 दिनांकः–06 जून 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मेरठ।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद।
5. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मेरठ।
6. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को अतिरिक्त 10 प्रतियां इस निर्देश के साथ कि स्थानीय समाचार पत्रों में कृपया निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को meerut.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद– मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
10. नाजिर विकास भवन, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

03/6/17
जिलाधिकारी,
मेरठ।